



कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1311 / भू.अ.लि. / 2019
प्रति,

रायगढ़, दिनांक 01/10/2019

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:— Diversion of forest land for non forest purpose forest conservation Act
1980 for Diversion of 185.017 Ha. of forest land for chhal OC seam III-6
MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh—Regarding.
पंजीयन कोड क्रमांक FP/CG/ MIN/16237/2015
संदर्भ:— आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 69 बिलासपुर दिनांक 16.9.2019।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छाल
खुली खदान फ़ेस III 6 (mty) परियोजना हेतु कुल 55.850 हे. धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत
ग्राम बांधापाली में भूमि स्थित है, जिसे महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र के द्वारा उनके पत्र
क्रमांक 112 दिनांक 20/05/2019 में Deemed forest मानकर उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र चाहा गया है, उक्त भूमि का राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा स्थल
सत्यापन एवं जांच कराया गया। संयुक्त दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि
खसरा नंबर 410 रकबा 55.850 हे. राजस्व भूमि के अंतर्गत होने एवं अभिलेख में कृषि अयोग्य
मद में दर्ज होने के कारण, राजस्व भूमि है। अतः राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी
करने की आवश्यकता नहीं है।

सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)